यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 खण्ड, पिथौरागढ द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 खण्ड, पिथौरागढ के माह 01/2013 से 09/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 20.10.2018 से 27.10.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इकाई की स्थापना माह सितम्बर 2012 में की गई थी तथा लेखे जनवरी 2013 से तैयार किए गये। स्थापना के पश्चात इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है, जिसमें माह 01/2013 से 09/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र :**
इकाई के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 250 से अधिक जनसंख्या वाले असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु कोर नेटवर्क के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं तथा स्वीकृति के सापेक्ष मोटर मार्ग निर्माण एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र दो विकास खण्डों क्रमशः बिण एवं गंगोलीहाट हैं, जिनमें ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है :

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर–स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	–	–	153.82	43.72	154.70	153.88	–	110.10	–	0.82
2013–14	36.63	–	2082.12	1621.95	97.14	82.32	–	496.80	–	14.82
2014–15	79.72	–	2525.24	2195.49	148.42	142.61	–	409.47	–	5.81
2015–16	64.97	–	1967.23	1758.20	197.42	185.99	–	274.00	–	11.43
2016–17	46.67	–	1826.21	1730.34	173.44	166.07	–	142.54	–	7.37
2017–18	–	–	3198.05	2789.61	206.53	205.55	–	408.44	–	0.98
2018–19 (9/18)	–	–	709.51	528.05	170.08	112.34	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत			

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0, बैक खाते एवं कोषागार को वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	पी0एम0जी0एस0वाई0	–	118.51	43.72	–	74.79
2013–14		1.32	1822.38	1403.78	–	419.92
2014–15		–	2513.98	2169.51	–	344.47
2015–16		–	1935.42	1737.71	–	197.71
2016–17		–	1792.32	1649.80	–	142.52
2017–18		–	3126.14	2717.74	–	408.40
2018–19 (9/18)		–	704.46	523.67	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत	

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 को समर्पित की गई।

(iii) इकाई को बजट आबंटन योजना हेतु अथोराईजेशन के रुप में तथा राज्य मद के अन्तर्गत अनुदान संख्या 019 लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त होता है तथा गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई “ब” श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

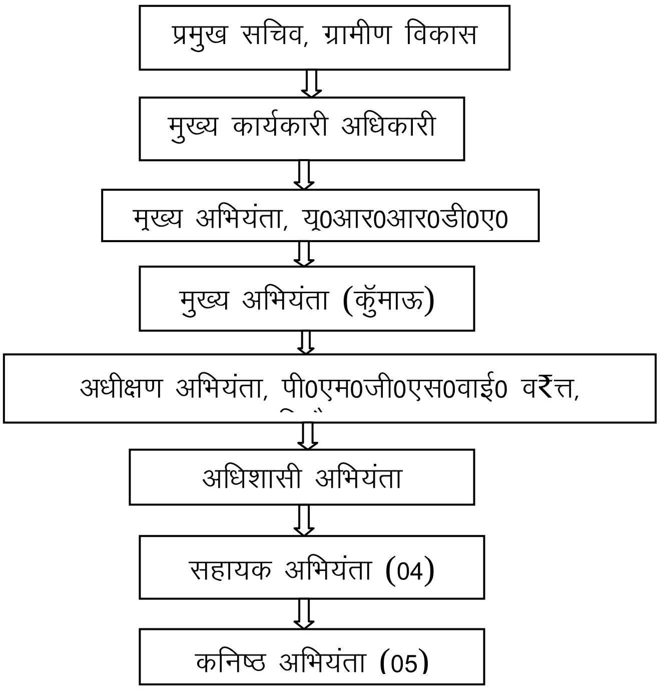
प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मुख्य अभियंता, यू0आर0आर0डी0ए0
मुख्य अभियंता (कुँमाऊ)
अधीक्षण अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त,
अधिशासी अभियंता
सहायक अभियंता (04)
कनिष्ठ अभियंता (05)

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 खण्ड, पिथौरागढ को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 खण्ड, पिथौरागढ की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016, मार्च 2017 एवं मार्च 2018 को विस्तृत जॉच हेतु चयन उसके अधिकतम व्यय एवं वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया। इकाई में संचालित निर्माण कार्यों में से 13 निर्माण कार्यों (पूर्ण–09 एवं प्रगतिरत–04) को विस्तृत विश्लेषण जॉच हेतु चयन किया गया। प्रतिचयन माह 09/2018 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में कोई निरीक्षण नहीं किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र–संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई।
5. फार्म 51 माह 09/2018 तक महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष शून्य है।
6. खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष के माह 09/2018 के अन्त में : शून्य
7. विगत लेखापरीक्षा से अब तक कोई खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध नहीं रहे।

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–1: आई0आर0सी0 विशिष्टियों के विपरीत जियोमैट्रिक डिजाईन में कैरेज–वे की चौडाई अधिक किए जाने से रु0 167.10 लाख का परिहार्य व्यय।

आई0आर0सी0 एस0पी0–20–2002 के प्रस्तर 2.6.4 एवं संचालन मैनुअल के पैरा 5.2 के अनुसार यदि किसी लिंक (dead end) मोटर मार्ग में प्रति दिन 100 से अधिक यातायात वाहन हो तो यातायात (carriage way) हेतु पक्की सड़क की चौडाई 3.75 मी0 तथा 100 से कम यातायात वाहन होने पर चौडाई 3.00 मी0 होनी चाहिए।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टिम्टा से बुंगलीगुंथ मोटर मार्ग लम्बाई 27.83 किमी0 के निर्माण हेतु फेस–X में रु0 1304.08 लाख (निर्माण : रु0 1190.90 लाख तथा अनुरक्षण : रु0 113.18 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकरॅति प्रदान की गई (08.02.2013)। मुख्य अभियंता (स्तर–2), पी0एम0जी0एस0वाई0, देहरादून द्वारा उक्त स्वीकरॅति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि की प्राविधिक स्वीकरॅति प्रदान की गई (08.05.2013)। मोटर मार्ग निर्माण हेतु रु0 1269.19 लाख का अनुबन्ध संख्या 03/एस0ई0–पी0एम0जी0एस0 वाई0 गठित किया गया (27.05.2013)। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तिथियॉ क्रमशः 27.05.2013 एवं 26.11.2014 निर्धारित थी, परन्तु कार्य वास्तविक रुप से रु0 1242.88 लाख व्यय के साथ पूर्ण किया गया (10.12.2015)।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 खण्ड, पिथौरागढ के टिम्टा से बुंगलीगुंथ मोटर मार्ग के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि मोटर मार्ग में प्रति दिन वार्षिक औसत दैनिक यातायात (ए0ए0डी0टी0) की संख्या 41, सी0वी0पी0डी0 10 तथा अन्तिम गॉव के छोर तक ही मार्ग के लिंक मार्ग होने (dead end) पर भी पक्की सड़क की चौडाई 3.75 मी0 प्रावधानित एवं सम्पादित की गई, जबकि आई0आर0सी0 की विशिष्टियों के अनुसार लिंक मार्ग में प्रति दिन 100 से कम मोटर वाहनों का यातायात घनत्व तथा अन्तिम छोर (dead end) होने पर पक्की सड़क की चौडाई 3.00 मी0 होनी चाहिए थी। खण्ड द्वारा मोटर मार्ग के आगणन प्रतिवेदन में कैरेज–वे की अधिक चौडाई के प्रावधान हेतु कोई स्पष्टीकरण/कारणों का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे यह पुष्टि हो सके कि मार्ग में कैरेज–वे की चौडाई किन कारणों से अधिक रखी गई। इस प्रकार, मानकों से अधिक 0.75 मी0 चौडाई में ग्रेबल बेस, डब्ल्यू0बी0एम0 एवं बिटुमिन (पी0सी0) कार्य किए जाने पर रु0 167.10 लाख का परिहार्य व्यय किया गया। अधिक चौडाई में किए गये कार्य पर परिहार्य व्यय का विवरण निम्नवत् हैः–

मद का नाम	मार्ग की लम्बाई (मी0)	विशिष्टियों के अनुसार सडक की चौडाई (मी0)	सम्पादित सडक की चौडाई (मी0)	अधिक चौडाई	अतिरिक्त मात्रा	अतिरिक्त कर्व (10%)	पासिंग स्थल	कुल मात्रा (6+7+8)	अनुबन्धित दर (9x10)	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
जी0एस0बी0	27830.00	3.00	3.75	0.75	4174.50[1]	417.45	307.50[2]	4899.45	1221.00	5982228.45
जी–3	27830.00	3.00	3.75	0.75	1565.44[3]	156.54	115.31[4]	1837.29	1692.00	3108694.68
प्राईम कोट	27830.00	3.00	3.75	0.75	20872.50[5]	2087.25	1537.50[6]	24497.25	40.00	979890.00
टैक कोट	27830.00	3.00	3.75	0.75	20872.50	2087.25	1537.50	24497.25	15.00	367458.75
प्रीमिक्स कारपेट	27830.00	3.00	3.75	0.75	20872.50	2087.25	1537.50	24497.25	178.00	4360510.50
सील कोट	27830.00	3.00	3.75	0.75	20872.50	2087.25	1537.50	24497.25	78.00	1910785.50
योगः–										**16709567.88**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि मार्ग के अधिक लम्बाई एवं जनसंख्या अधिक होने के कारण कैरेज–वे की चौडाई 3.75 मी0 रखी गयी, ताकि आवागमन में सुविधा हो सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मोटर मार्ग में कैरेज–वे की चौडाई मार्ग में प्रति दिन यातायात घनत्व एवं उसके अन्तिम बसावट (dead end) या थ्रू–रुट होने के आधार पर निर्धारित होता है। प्रश्नगत मार्ग में यातायात घनत्व अर्थात ए0ए0डी0टी0 मात्र 41/सी0वी0पी0डी0 10 होने तथा मार्ग के अन्तिम छोर की बसावट होने पर मार्ग की चौडाई मात्र 3.00 मी0 ही होनी चाहिए थी।

अतः आई0आर0सी0 विशिष्टियों के विपरीत जियोमैट्रिक डिजाईन में कैरेज–वे की चौडाई अधिक किए जाने से रु0 167.10 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

---

[1] **GSB** = Length x width x height i.e. 27830m x 0.75m x 0.200m = 4174.50 cum.

[2] **GSB for passing place** = Total No. of passing place x passing place length x excess width x height i.e. 82x25x0.75x0.200 = 307.50 cum.

[3] **G3** = Length x width x height i.e. 27830m x 0.75m x 0.075m = 1565.44 cum.

[4] **G3 for passing place** = Total No. of passing place x passing place length x excess width x height i.e. 82x25x0.75x0.075 = 115.31 cum

[5] **PC** (Primer coat, Tack coat, Premix Carpet & Seal coat) : 27830m x 0.75m = 20872.50 sqm.

[6] **PC for passing place** = Total No. of passing place x passing place length x excess width i.e. 82x25x0.75 = 1537.50 sqm.

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1: दिशा–निर्देशों के विपरीत मोटर मार्ग निर्माण में रु0 22.11 लाख का अनियमित व्यय।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत स्टेज–।। में दो मोटर मार्गो क्रमशः कफलडूंगरी से संघर–वास्ते–गंगारा[7] एवं दशाईथल से उपराडा[8] मोटर मार्गो की लम्बाई 10.25 किमी0 के निर्माण हेतु फेस–X में निर्माण हेतु ₹ 442.84 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (08.02.2013)। उक्त मोटर मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 442.84 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण राशि की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियंता स्तर–2 द्वारा प्रदान की गई (10.05.2013 एवं 27.05.2013)। दोनों मोटर मार्गो हेतु ₹ 423.02 लाख (कफलडूंगरी से संघर–वास्ते–गंगारा :₹ 192.87 लाख एवं दशाईथल से उपराडा :₹ 230.15 लाख) के अनुबन्ध संख्या–13 एवं 14/एस0ई0–पी0एम0जी0एस0वाई0/2013–14 दिनॉक 01.06.2013 गठित किया गया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की तिथियॉ क्रमशः 01.06.2013 एवं 31.05.2014 थी। दोनों मार्गो का वास्तविक कार्य कफलडूंगरी से संघर–वास्ते–गंगारा ₹ 192.64 लाख व्यय के साथ दिनॉक 15.11.2015 एवं दशाईथल से उपराडा ₹ 228.96 लाख व्यय के साथ दिनॉक 10.10.2014 में पूर्ण किया गया।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 खण्ड, पिथौरागढ के स्टेज–।। के उक्त दो निर्माण कार्यों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के दिशा–निर्देशों के पैरा 11.1 के अनुसार परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति और उनकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद निष्पादन एजेंसी निविदाऐं आमंत्रित करेगी। सभी परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए निविदा की सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। राज्य तकनीकी एजेंसी द्वारा जॉची और मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई सभी परियोजनाओं की यथा स्थिति निविदा की जाएगी और एन0आर0आर0डी0ए0 के पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि:–

(i) खण्ड द्वारा भारत सरकार से पैवमेंट कार्य हेतु स्वीकृत मद जी0एस0बी0 ग्रेड "ए" हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी तथा उसी के अनुरुप निविदादाता की दर पर अनुबन्ध किया गया था, परन्तु अन्तिम देयक में अनुबन्धित मद के स्थान पर जी0–1 एवं जी0–2 प्रयुक्त की गई। इस परिवर्तन हेतु खण्ड द्वारा न तो एन0आर0आर0डी0ए0 से पूर्व अनुमति ली गई एवं न ही प्राविधिक स्वीकृति के आधार पर परिवर्तन किया गया जबकि निविदाऐं प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व ही कर ली गई थी। विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

---

[7] कफलडूंगरी से संघर–वास्ते–गंगारा लम्बाई 5.00 किमी0 : स्वीकृत राशि ₹ 227.36 लाख (निर्माण : ₹ 204.85 लाख एवं अनुरक्षण : ₹ 22.51 लाख)

[8] दशाईथल से उपराडा लम्बाई 5.25 किमी0 : स्वीकृत राशि ₹ 265.44 लाख (निर्माण : ₹ 237.99 लाख एवं अनुरक्षण : ₹ 27.45 लाख)

भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार				निविदा/अनुबन्ध के अनुसार			अन्तिम देयक के अनुसार				अन्तर
मद का नाम	मात्रा (क्यूमी0)	दर	राशि	मात्रा (क्यूमी0)	दर	राशि	मद का नाम	मात्रा (क्यूमी0)	दर	राशि	
दशाईथल से उपराडा मोटर मार्ग											
जी.एस. बी.	3631.86	1215.00	4412709.90	3631.86	1215.00	4412709.90	जी0–1	2175.76	1581.80	3441617.17	1199172.88
							जी0–2	1306.13	1661.60	2170265.61	
कफलडूंगरी से संघर–वास्ते–गंगारा मोटर मार्ग											
जी.एस. बी.	3324.17	1215.00	4038866.55	3324.17	1170.00	3889278.90	जी0–1	1836.15	1517.10	2785623.17	1011934.12
							जी0–2	1324.23	1597.60	2115589.85	
योगः–											**2211107.00**

इस प्रकार, बिना अनुमति परिवर्तन किए जाने के परिणामस्वरुप न केवल दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किया गया अपितु मोटर मार्ग निर्माण में रु0 22.11 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने कार्य मद में परिवर्तन के सम्बन्ध में बताया कि मार्ग में जी0एस0बी0 उपलब्ध न होने एवं उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कार्य मद में परिवर्तन किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के विपरीत कार्य मद में परिवर्तन के सम्बन्ध में इकाई द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः दिशा–निर्देशों के विपरीत मोटर मार्ग निर्माण में रु0 22.11 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2: अनुबन्ध के प्रावधान के अनुरुप विलम्ब हेतु निर्धारित परिनिर्धारित नुकसान की कटौती न किए जाने के कारण ठेकेदारों को रु0 132.15 लाख का अदेय लाभ।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के प्रस्तर 13.1(iii) के अनुसार पहाडी सडकों हेतु कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 18 माह की अवधि के भीतर कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए तथा यदि समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किए जाते हैं तो प्रस्तर 13.1(v) में प्रावधानित किया गया है कि विलम्ब की दशा में ठेकेदार के विरुद्ध अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। स्टैन्डर्ड बिडिंग डोकुमेन्ट के प्रस्तर 44.1 के अनुसार किसी भी अनुबन्ध हेतु समय सीमा का निर्धारण बहुत ही आवश्यक है और यदि ठेकेदार उक्त अवधि में कार्य करने में विफल होता है तो अनुबन्धित राशि के 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह या अधिकतम 10 *प्रतिशत* तक का परिनिर्धारित नुकसान (एल0डी0) कराधान या चार्ज करना चाहिए। यदि ठेकेदार निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करने में विफल होता है तो उस अनुबन्ध में शास्ति लगाकर उसे निष्कासित किया जाना चाहिए एवं अवशेष कार्य को किसी अन्य एजेन्सी से करवाया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 खण्ड, पिथौरागढ के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि प्रखण्ड के अन्तर्गत निर्मित 03 कार्यों जिनकी अनुबन्धित धनराशि रु0 1394.54 लाख थी, कार्य समाप्ति हेतु निर्धारित समय–सीमा के अन्दर ठेकेदारों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किए गये। नियमानुसार उक्त कार्यों पर विलम्ब के दिनों हेतु 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह या अधिकतम 10 *प्रतिशत* तक का परिनिर्धारित नुकसान की वसूली की जानी थी परन्तु प्रखण्ड द्वारा इन निर्माण कार्यों में हुए विलम्ब हेतु मात्र रु0 5.00 लाख एल0डी0 की कटौती की गई जबकि कुल विलम्ब 18 सप्ताह से 97 सप्ताह हेतु 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह या अधिकतम 10 *प्रतिशत* तक रु0 137.15 लाख की एल0डी0 की वसूली की जानी चाहिए थी। इसप्रकार, नियमानुसार विलम्ब हेतु एल0डी0 की वसूली न कर ठेकेदारों को रु0 132.15 लाख का अदेय लाभ पहुॅचाया गया। कार्यों का विस्त₹त विवरण निम्नवत् हैः–

(रु0 लाख में)

कार्यों के नाम	अनुबन्धित राशि	अनुबन्ध के अनुसार निर्माण हेतु			विलम्ब	कटौती योग्य राशि	कटौती की गई राशि	अवशेष राशि
		प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि	पूर्ण होने की तिथि				
दसाईथल से उपराडा	230.15	01.06.2013	31.05.2014	10.10.2014	18 सप्ताह	20.71 (9%)	0.25	20.46
बेरीनाग से गंगोलीहाट	848.04	29.11.2014	28.05.2016	03.05.2017	47 सप्ताह	84.80 (10%)	3.95	80.85
गोगिना से जमराडी	316.35	31.03.2013	30.06.2014	30.05.2016	97 सप्ताह	31.64 (10%)	0.80	30.84
योगः–	**1394.54**					**137.15**	**5.00**	**132.15**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि मोटर मार्ग में अधिकांश अवधि में ग्रामीणों के विवाद एवं अत्यधिक वर्षा व मौसम अनुकूल न होने के कारण विलम्ब हुआ, फिर भी समयावधि में कार्य पूर्ण हो सके, इसलिए ठेकेदार से न्यूनतम एल0डी0 की कटौती उच्चाधिकारियों की स्वीक₹ति से की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि विलम्ब हेतु ठेकेदार से एल0डी0 की कटौती की गई तो यह स्वतः ही स्पष्ट है कि विलम्ब हेतु ठेकेदार ही जिम्मेदार था तथा ठेकेदार के जिम्मेदार होने के कारण अनुबन्ध के प्रावधान के अनुसार ही एल0डी0 की कटौती की जानी चाहिए थी।

अतः अनुबन्ध के प्रावधान के अनुरुप विलम्ब हेतु निर्धारित परिनिर्धारित नुकसान की कटौती न किए जाने के कारण ठेकेदार को रु0 132.15 लाख के अदेय लाभ का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 संशोधित दर पर रायल्टी की कटौती न किए जाने के कारण रु0 8.32 लाख की राजस्व हानि।

शासनादेश संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनॉक 19.05.2016 के अनुसार विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू, मोरम, बजरी, बोल्डर एवं इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, के लिए दिनॉक 19.05.2016 से रु0 194.50 प्रति घनमी0 के स्थान पर रु0 154.00 प्रति घनमी0 कटौती दरें निर्धारित की गई थी।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0 खण्ड, पिथौरागढ के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा लेखापरीक्षा अवधि में 09 निर्माण कार्यों पर खनिज पदार्थों जैसेः–पत्थर, बालू एवं मिट्टी जो ठेकेदारों द्वारा प्रयोग में लाए गये है, पर उपयोग की गई सामग्री पर रायल्टी संशोधित दरों के आधार पर नहीं की गई। परिणामस्वरुप रु0 8.32 लाख (**संलग्नक–1**) की रायल्टी की वसूली देयकों से निर्धारित दरों से कम दरों पर की गई जबकि रायल्टी की वसूली ठेकेदार द्वारा प्रत्येक देयक से उपयोग किए गये खनिज पदार्थों पर समय–समय पर हुए संशोधनों के आधार पर की जानी चाहिए थी। रायल्टी की कम वसूली किए जाने से न केवल ठेकेदार को अदेय लाभ पहुँचाया गया अपितु राज्य सरकार को भी रु0 8.32 लाख के राजस्व से बंचित किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि रायल्टी की संशोधित दरें विलम्ब से प्राप्त होने के कारण पूर्व दर पर रायल्टी की कटौती की गई। वर्तमान में समस्त देयकों पर संशोधित दर से रायल्टी की कटौती की जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रायल्टी की वसूली प्रत्येक देयक से उपयोग किए गये खनिज पदार्थों पर समय–समय पर हुए संशोधनों के आधार पर की जानी चाहिए थी।

अतः संशोधित दर पर रायल्टी की कटौती न किए जाने के कारण रु0 8.32 लाख के राजस्व हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक -1

कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	रॉयल्टी विवरण के अनुसार प्रयुक्त मात्रा			निर्धारित दर	दरों में अन्तर (6-5)	वसूली गई धनराशि (4x5)	वसूली जाने वाली धनराशि (4x6)	कम वसूल की गई धनराशि (9-8)
		बिल सं व तिथि	पत्थर बालू ग्रिट	प्रदत्त दर					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Gangolihat to Pauwadhar Chaurpal M/R	38/SE./13-14 Dt. 27.11.2013	10(P) Dt.20.09.2016	141.28	80	154	74	11302.40	21757.12	10454.72
			22.98	90	154	64	2068.20	3538.92	1470.72
			20.54	80	154	74	1643.20	3163.16	1519.96
	49/SE./13-14 Dt. 24.12.2013	6(P) Dt. 20.09.2016	2721.10	80	154	74	217688.00	419049.40	201361.40
Khirmande-naini M/R	06/SE PMGSY 14-15 Dt. 29.08.2014	01(P) Dt.02.08.2016	606.96	80	154	74	48556.80	93471.84	44915.04
			41.95	90	154	64	3775.50	6460.30	2684.80
			83.90	80	154	74	6712.00	12920.60	6208.60
		01(P) Dt.28.07.2016	278.51	80	154	74	22280.80	42890.54	20609.74
			23.76	90	154	64	2138.40	3659.04	1520.64
			47.52	80	154	74	3801.60	7318.08	3516.48
Chandak to Chamali M/R	28/SE Dt. 22.07.2013	04(P)Dt. 10.06.2016	1684.65	80	154	74	134772.00	259436.10	124664.10
			150.48	90	154	64	13543.20	23173.92	9630.72
			64.61	80	154	74	5168.80	9949.94	4781.14
		3(P) Dt. 10.08.2016	2046.74	80	154	74	163739.20	315197.96	151458.76
			193.57	90	154	64	17421.30	29809.78	12388.48
			83.91	80	154	74	6712.80	12922.14	6209.34
Dasaithal Agron M/R	08/SE 15-16 Dt. 29.11.2014	6(P) Dt. 30.06.2016	141.98	80	154	74	11358.40	21864.92	10506.52
			21.31	90	154	64	1917.90	3281.74	1363.84
			36.13	80	154	74	2890.40	5564.02	2673.62
		Nil	278.02	80	154	74	22241.60	42815.08	20573.48
Berinag-Gangolihat M/R	09/SE/14-15 Dt. 29.11.2014	02(P) Dt.30.07.2016	611.63	80	154	74	48930.40	94191.02	45260.62
			187.95	90	154	64	16915.50	28944.30	12028.80
			146.76	80	154	74	11740.80	22601.04	10860.24
Gogina(Chupkot Band)-Jamrari M/R	01/SE PMGSY Dt. 31.03.2013	66 Dt. 24.03.2017	425.63	80	154	74	34050.40	65547.02	31496.62
			92.17	90	154	64	8295.30	14194.18	5898.88
			403.71	80	154	74	32296.80	62171.34	29874.54
Bin To Chaisar M/R	12/SE PMGSY Dt. 01.06.2013	08(P) Dt.20.09.2016	452.57	80	154	74	36205.60	69695.78	33490.18
			11.98	90	154	64	1078.20	1844.92	766.72
			321.46	80	154	74	25716.80	49504.84	23788.04
Total									**831986.74**

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग– II 'अ'** प्रस्तर संख्या	**भाग– II 'ब'** प्रस्तर संख्या
इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा थी।		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा थी।				

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 खण्ड, पिथौरागढ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	ई0 विजय कुमार	अधिशासी अभियंता	20.09.2012 से 15.08.2014
2.	ई0 प्रवीण कर्णवाल		15.08.2014 से 09.04.2015
3.	ई0 दामोदर भट्ट		10.04.2015 से 31.07.2015
4.	ई0 नागेन्द्र बहादुर		01.08.2015 से 03.12.2016
5.	ई0 दीप चन्द्र जोशी		03.12.2016 से 22.06.2018
6.	ई0 नागेन्द्र बहादुर		22.06.2018 से 04.09.2018
5.	ई0 मीना भट्ट		04.09.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 खण्ड, पिथौरागढ को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र